न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

श्रीमती मधु खरे

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 6–एक/1991 विरूद्ध आदेश दिनांक 18 जुलाई, 1991 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर – प्रकरण कमांक 76–चार/1990

1. वीरेश्वर सिंह पुत्र स्व0प्रताप सिंह
2– योगेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
निवासीगण ग्राम अमलेटा तहसील
व जिला रतलाम , मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर ---अनावेदक

(श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक – आवेदक)
(श्री अनिल श्रीवास्तव अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श

(आज दिनांक 28 जनवरी 2016 को पारित)

सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 76–चार/1990 निगरानी में पारित आदेश 18 –7–91 के विरूद्ध यह पुनरावलोकन आवेदन म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सक्षम प्राधिकारी, कृषि जोत सीमा अधिनियम , रतलाम के न्यायाय में आवेदकगण के विरूद्ध कृषि सीलिंग से अधिक भूमि होने के कारण प्र0क0 95 अ 9,0

(बी-3) /1974-75 कायम किया गया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 23-3-1981 से प्रकरण समाप्त कर दिया। कृषि जोत सीमा अधिनियम 1960 की मूल धारा 6 में 6(बी) एंव 6(बी)(बी) दिनांक 24-1-1984 से अंतःस्थापित की गई। परिणामतः आवेदकगण के विरूद्ध पुनः प्रकरण कमांक 5 अ-90(बी-3) /1983-84 पंजीबद्ध किया गया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 8-9-1996 से धारक की 39-29 एकड़ भूमि शासन हित में देने हेतु निर्देशित करते हुये धारा 11(3) के अंतर्गत प्रारूप विवरणी प्रकाशित करने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्ध प्रताप सिंह एंव योगेन्द्र सिंह ने कलेक्टर जिला रतलाम के समक्ष अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला रतलाम ने प्रकरण कमांक 18/1986-87 अपील में पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 14-2-1989 पारित किया तथा अपील अस्वीकार कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष निगरानी कमांक 21/1989-90 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 12 फरवरी, 1990 से निगरानी अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर में निगरानी कमांक 78-चार/1990 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 18-7-1991 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह प्रकरण है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के अनुसार धारक के विरूद्ध पात्रता निर्धारण में अतिरिक्त भूमि न पाने से आदेश दि0 23-3-81 से प्रकरण समाप्त कर दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः प्रारंभ करने हेतु जारी सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया एंव बताया गया कि संव्यवहार 1-1-71 के पूर्व के हैं जिसके

करण धारा 6 (बी)(बी) इस प्रकरण पर लागू नहीं है, परन्तु सक्षम प्राधिकारी ने आपत्ति नहीं मानी एंव अपीलीय न्यायालयों ने भी ध्यान नहीं दिया और राजस्व मण्डल ने प्रकरण कमांक 76-चार/1990 निगरानी में पारित आदेश दिनांक18 जुलाई 1991 में उठाई गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया, इसलिये पुनरावलोकन में निम्न पर पुर्नविचार किया जाय।

1. पुनरीक्षण में आपत्तियों पर विचार न करना अभिलेख से प्रत्यक्ष दर्शी भूल है।
2. पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23-3-81 पुनः प्रारंभ करने की अधिकारिता सक्षम प्राधिकारी को नहीं है इस आपत्ति पर निगरानी में विचार न करना प्रत्यक्षदर्शी भूल है।
3. सक्षम प्राधिकारी ने समस्त संव्यवहारों को विधिमान्य मानकर भूमि अतिशेष न होने से प्रकरण समाप्त किया है उन्हीं संव्यवहारों पर पुनः भूमि अतिशेष घोषित नहीं की जा सकती।
4. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम में पुनर्विलोकन का उपबंध नहीं होने से सक्षम प्राधिकारी प्रकरण पुनर्विलोकन में नहीं ले सकते।
5. सॅशोधित अधिनियम 1984 के उपबंध धारा 6 (बी)(बी) 1-1-71 के अंतरणों पर लागू नहीं है।

अंत में पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

5/ आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ने लेखी बहस के पद-6 में इस प्रकार अंकित किया है :-

" यहकि, सक्षम प्राधिकारी महोदय व्दारा प्रकरण पुनः प्रारंभ करना पुनर्विलोकन की कोटि में आता है । जबकि कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम , 1960 के अधीन पुनर्विलोकन का उपबंध न होने से सक्षम प्राधिकारी को पूर्व में पारित अपने आदेश का पुनर्विलोकन करने की अधिकारिता नहीं है। "

राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक 76-चार/1990 एंव विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन भी मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत है क्योंकि

अपील/निगरानी में भी उसी नियम/अधिनियम के अंतर्गत विचार किया जायेगा, जिस नियम/अधिनियम के अधीन मूल विचारण न्यायालय व्दारा आदेश पारित किया है। अतएव आवेदक व्दारा लेखी बहस के पद-6 में दिये गये विवरण अनुसार विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन प्रचलन योग्य एंव ग्राह्य योग्य नहीं है।

6/ पुनरावलोकन का मुख्य आधार यह बताया गया है कि सक्षम प्राधिकारी को पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23-3-81 के पुनः प्रारंभ करने की अधिकारिता नहीं है और इस आपत्ति पर निगरानी में विचार न करना प्रत्यक्षदर्शी भूल हैं। इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 में म0प्र0अधिनियम कमांक 14 सन् 1984 व्दारा (24-1-1984) से किये गये अंतःस्थापन अनुसार धारा 6 (B)(B) जोड़ी गई है, जिसके अनुसार :-

"6-रव रव ऐसे मामलों में जिनको कि धारा 6-रव लागू होती है, अधिशेष भूमि का घोषित किया जाना - जहां धारा 6 - रव के प्रवार्तन के परिणामस्वरुप उस भूमि की जो कि ऐसे अवधि के पूर्व किसी धारक व्दारा धारित है मात्रा में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि जिसके लिये अधिशेष भूमि का घोषित किया जाना आवश्यक हो जाता है वहां इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी सक्षम प्राधिकारी, अधिशेष भूमि को घोषित करने में उस भूमि को निम्नलिखित कम में विनिर्दिष्ट करेगा। "

टधिनियम की धारा 6 (ख)(ख) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। सक्षम प्राधिकारी को मूल धारक के पास सॅशोधन के बाद उच्चतम सीमा अधिनियम में निर्धारित पात्रता से अधिक भूमि होने का अंदेशा हुआ, तब उन्होंने धारक के विरूद्ध पूर्व प्रकरण को नवीन सिरे से पंजीबद्ध कर कार्यवाही विचार में ली । अतः पुनर्विलोकन आवेदन में उठाये गये आधार माने जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि इन सभी तथ्यों पर कलेक्टर जिला रतलाम के प्रकरण कमांक 18/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-2-1989 में एंव अपर आयुक्त,

उज्जैन संभाग, उज्जैन के निगरानी कमांक 21/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 12 फरवरी, 1990 में विचार हो चुका है, तभी तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 76-चार/1990 पारित आदेश दि0 18 जुलाई 1991 में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है और इन्हीं कारणों से विचाराधीन पुनरविलोकन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन वास्तविकता के विपरीत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर